मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in
email-ussicbho@mp.gov.in

क्रमांक / एफ–025 / रासूआ / लोसूआ / 2022 / 67। भोपाल,दिनांक 19 / 01 / 2022

प्रति,

श्री अभिषेक जोशी,
न्यू तहसील कार्यालय के सामने,
झाँसी रोड, **करेरा**
जिला–**शिवपुरी** (म.प्र.) 473660

विषय : दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 10.01.2022, आयोग में प्राप्त दिनांक 12.01.2022 एवं ईमेल से प्राप्त पत्र दिनांक 18.01.2022 ।

=•=•=

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2022 द्वारा चाही गई बिंदु 1 एवं 2 की जानकारी से सम्बन्धित 05 पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

19.1.2022

(राजेश कुमार ओगरे)
सचिव
राज्य सूचना आयोग

प्रति,

श्रीमान सूचना आयुक्त महोदय (जोन ग्वालियर)

राज्य सूचना आयोग, 35 – B

अरेरा, हिल्स भोपाल (म०प्र०)

Urgent Hearing

(under life&liberity)

1. **अभिषेक जोशी**
   पता- नई तहसील कार्यालय के सामने, करेरा, जिला शिवपुरी (म०प्र०)

..... **शिकायतकर्ता**

विरुद्ध

2. **सहायक लोकसूचना अधिकारी (थाना प्रभारी), करेरा**
   पता- पुलिस थाना करेरा जिला शिवपुरी (म०प्र०)

3. **लोकसूचना अधिकारी (अतरिक्त पुलिस अधीक्षक)**
   पता- कार्यालय पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी
4. **अपीलीय अधिकारी (पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी)**
   पता- कार्यालय पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी

..... **(सहायक, लोकसूचना/ अपीलीय अधिकारी)**

2379
27-1-2021

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के तहत शिकायत।

अनुभाग अधिकारी
राज्य सूचना आयोग,
भोपाल

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि श्रीमान प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) सहापठित धारा 7(1) के अंतर्गत **लोकसूचना अधिकारी (अतरिक्त पुलिस अधीक्षक), शिवपुरी** से सूचना मांगी गई थी। जो प्रार्थी को निश्चित समयावधि में प्राप्त नही हुई है। इसके साथ ही प्रार्थी को **अपूर्ण/भ्रमित** जानकारी भेज दी गई है। जिससे प्रार्थी व्यथित है और श्रीमान के समक्ष अपनी शिकायत निम्नलिखित प्रस्तुत करता है –

1. यह कि श्रीमान प्रार्थी द्वारा **दिनाँक 09/11/20** को अपने भाई के विरुद्ध पुलिस थाना करेरा में दर्ज एक झूँठी प्रथम सूचना रिपोर्ट 659/2020 के कारण उसकी जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा बताते हुए **सहायक लोकसूचना अधिकारी** (थाना प्रभारी) करेरा से जानकारी/सूचना मांगी थी। जिसका आवेदन **सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा लेने से मना कर दिया गया था।** तत्पश्यात प्रार्थी द्वारा अपना आवेदन लोकसूचना अधिकारी (अतरिक्त पुलिस अधीक्षक) को भारतीय डांक द्वारा भेजा गया और इसकी प्रतिलिपी सहायक लोकसूचना अधिकारी , लोकसूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी (**पुलिस अधीक्षक**) शिवपुरी को की थी। जिसके बाद भी **प्रार्थी को धारा 7(1) में वर्णित समयावधि 48 घँटों में किसी प्रकार की कोई सूचना न तो सहायक लोकसूचना अधिकारी न ही लोकसूचना अधिकारी न ही अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त कराई गई।**
2. यह कि श्रीमान ततपश्चात **लोकसूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी** के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा इसकी अपील **श्रीमान राज्य सूचना आयोग** के समक्ष की गई है जो कि विचाराधीन है।
3. यह कि श्रीमान दिनाँक **2/12/20** को प्रार्थी को पुलिस थाना करेरा द्वारा लोकसूचना अधिकारी का पत्र दिनाँक 26/11/20 प्राप्त हुआ। जिसमें प्रार्थी के आवेदन को सहायक लोकसूचना अधिकारी थाना प्रभारी करेरा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किये जाने का लेख था।
4. यह कि श्रीमान दिनाँक 12/12/20 को प्रार्थी को भारतीय डाँक द्वारा थाना करेरा से एक पत्र क्रमांक 2144/ 20 प्राप्त हुआ था। जिसमे प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में लेख था कि –
5. **01 - शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों का संचालन नगर पालिका द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा किया जाता, है जिसके सम्बंध में जानकारी सम्बंधित कंपनी से प्राप्त की जावे।**

शिकायतकर्ता **की श्रीमान के समक्ष शिकायत** - यह कि श्रीमान प्रार्थी द्वारा बिंदु क्रमांक 01 पर मांगी गई जानकारी पुलिस थाना करेरा द्वारा जानबूझकर प्रदाय नही कराई गई है और प्रार्थी को अधूरी जानकारी भेजी गई है। जिसके परिपेक्ष्य में शिकायत निम्नलिखित है-

1. यह कि श्रीमान दिनाँक 08/11/20 को प्रार्थी के भाई अमन जोशी के विरुद्ध पुलिस थाना, करेरा द्वारा एक झूँठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमे प्रार्थी के भाई अमन का किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बंध नही था। मेरा भाई उक्त घटना दिनाँक , समय पर मेरे घर मे लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है। **पुलिस थाना करेरा द्वारा मेरे भाई के विरुद्ध रंजिशन झूँठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी कारण से प्रार्थी को घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नही दी जा रही है। नही तो पुलिस थाना करेरा का झूँठ जग जाहिर हो जाएगा।**
2. यह कि श्रीमान इसके अतिरिक्त यदि बिंदु क्रमांक 01 पर मांगी जा रही जानकारी किसी अन्य लोकसूचना अधिकारी से सम्बंधित थी। तो सहायक लोकसूचना अधिकारी और लोकसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य था। कि वह मेरे आवेदन को इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित करे। लेकिन सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर **ऐसा नही किया गया। ओर मेरे आवेदन को लंबित रखा गया ताकि मेरे द्वारा मांगी जा रही सूचना को नष्ट कर दिया जा सके।** इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी को भी अपनी अपील में लेख कर बताया गया **था।कि प्रार्थी की सूचना नष्ट करवा दी जा सकती है। इसलिए इसे तत्काल संरक्षित करवाने की कृपा करें।** लेकिन अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपनी लापरवाही के चलते कोई कदम नही उठाया गया।
3. यह कि श्रीमान **उक्त घटना दिनाँक में पुलिस प्रशासन की संदिग्ध भूमिका थी। जिसका उल्लेख करेरा शहर के पत्रकार और कई सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया गया था।** जो इस शिकायत आवेदन के साथ *संलग्न है।*
4. *यह कि श्रीमान इसके अतिरिक्त* पुलिस थाना करेरा में पदस्थ सहायक *उपनिरीक्षक* ***श्री रतिराम चौखटिया द्वारा प्रार्थी के घर आकर प्रार्थी को यह स्वयं बताया गया था कि उक्त घटना दिनाँक की प्रथम सूचना रिपोर्ट को उनके ओर उनके थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर अंजाम दिया गया***

है।और प्रार्थी के भाई के विरुद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है वह उनके ही थाने के सिपाहियों द्वारा कराई गई है।जिसकी सीसीटीवी फुटेज डीवीडी में संलग्न है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा सक्षम साक्ष्यों / आधारों के साथ यह शिकायत की जा रही है। कि प्रार्थी को इस अधिनियम के अंतर्गत सहायक लोकसूचना अधिकारी, लोकसूचना सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी द्वारा भ्रमित जानकारी दी गई है। यह जानते हुए भी की मांगी जा रही सूचना का सम्बंध मेरे भाई की जीवन और स्वतंत्रता से है जानबूझकर अपवर्जित की गई है। इसलिए इनके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय जाँच कराई जाए और प्रार्थी को जानबूझकर सूचना से वंचित कर प्रार्थी को इससे छती कारित करने के लिए इनके विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 166 के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कराया जाए।

शिकायतकर्ता

दिनाँक – २८ /01/21

पता –नई तहसील कार्यालय, के सामने झांसी रोड करेरा जिला शिवपुरी (म०प्र०) अभिषेक जोशी

संलग्न –

1. प्रार्थी का लोकसूचना अधिकारी को आवेदन दिनाँक 09/11/20
2. प्रार्थी का अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील दिनाँक 13/11/20
3. प्रार्थी की श्रीमान राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील आवेदन।
4. साक्ष्य 01 - शहर के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुलिस प्रशासन की उक्त घटना में भूमिका के फेसबुक पोस्ट की प्रतिलिपि।
5. साक्ष्य 02 –पुलिस थाना करेरा में पदस्थ ASI चौखटिया का उक्त घटना में संलिप्त की सीसीटीवी फुटेज डीवीडी में।
6. सहायक लोकसूचना अधिकारी और लोकसूचना अधिकारी के जबाब पत्र।
7. प्रार्थी के भाई "अभय जोशी" के विरुद्ध दर्ज FIR NO– 659/2020

LETTER RECEIPT REGISTER

Serial No क्रम संख्या	Receiving Date प्राप्ति तिथि	LETTERS पत्र प्राप्त Ref No क्रमांक	LETTERS पत्र प्राप्त Date तिथि	From whom Received जिससे प्राप्त किया	Subject विषय	File Head/No. फाइल का नाम/नं.	Dispos... आदेश
2378	27-1-21	—	—	श्री आनन्द जोशी शिवपुरी	[illegible] सी.डी. [illegible]	—	SK
2379	s	—	—	श्री अभिषेक जोशी शिवपुरी	s	—	s
2380	s	—	25-1-21	s	कमी पूर्ति	A 1070	s
2381	s	—	23-1-21	श्री मुरारीलाल शर्मा [illegible]	[illegible]	A 4251 / 4051	s
2382	s	—	20-1-21	श्री सुरेश [illegible] [illegible] [illegible]	s	A 2409	s
2383							

अनुभाग अधिकारी [illegible] राज्य सूचना आयोग भोपाल

आवेदन पत्र

(अंतर्गत धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)

प्रेषित:

सचिव,

राज्यसूचना आयोग सूचना भवन

35 B अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश

विषय : आवेदन तहत धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वास्ते लोक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपी चहाने।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 25/01/2021 को मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल में एक शिकायत पत्र अन्तर्गत धारा 18(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन दिया था जो की 4 पेज का है।

अतः निम्नलिखित बिंदु पर उक्त लोक दस्तावेज जो आपकी अभिरक्षा मे है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय कराने का कष्ट करे

1. यह कि मेरे द्वारा दिनांक 25/1/2021 को राज्यसूचना आयोग, भोपाल में दिए गए शिकायत पत्र अन्तर्गत धारा 18(1) सू०आ०अधिनियम 2005 की प्रमाणित प्रतिलिपी दे।
2. यह कि उक्त शिकायत पत्र को आपके द्वारा जिस भी सरकारी दस्तावेज (आवक – जावक) पर इंद्राज किया हो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दे।

NOTES :

1. **यह आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम से किसी भी प्रकार सरोकर नहीं रखता है** लिहाजा उक्त अधिनियम का कोई प्रावधान संरक्षण इस आवेदन के बाबत लागू नहीं होता है/ और उक्त समस्त सूचनाएं धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 74 – 1872 के तहत लोक

आवेदन पत्र

(अंतर्गत धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)

दस्तावेजात की परिभाषा में आती है। लिहाजा एक लोक सेवक होने के नाते आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना आपके लिए वाध्यकारी है।

2. यह कि उक्त समस्त लोक दस्तावेजात की वांछित प्रतिलिपीयां प्राप्त करने हेतु एवम डाक व्यय हेतु आवेदन के साथ आंशिक शुल्क का भुगतान जरिए पोस्टल ऑर्डर राशि **40** संलग्न कर दिया है। एवम अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होने पर आप श्रीमानजी द्वारा सूचित किया जाना निवेदन है,आपके द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बाबत सूचना करने पर शेष राशि आवेदक द्वारा जमा करवा दी जावेगी।
3. अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होने की स्थिति में आवेदक को जरिए डाक (स्पीड पोस्ट) सूचित किया जावे।

स्मरण रहे कि धारा 52 I.P.C की रोशनी में समयेक सावधानी एवम सतर्कता के साथ इस आवेदन का देश के मौजूदा विधान के मुताबिक निर्णय किया जाना आवश्यक है, किसी भी मानिंद लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों के पालन में पक्षपात पूर्ण या विधि विरुद्ध निर्णय किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध धारा-166,167,420,467 & 471 I.P.C. के प्रावधानों को आकर्षित करती हैं।

Joshi

आवेदक

दिनांक : 10/1/22

अभिषेक जोशी, न्यू तहसील कार्यालय के सामने झांसी रोड करेरा जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश,473660

संलग्न :

1. पोस्टल ऑर्डर राशि 40 , कृपया मांगी जा रही जानकारी/दस्तावेज पूर्वोक्त पते पर **7 दिवस के भीतर** रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की कृपा करे।

अधपन्ना COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे अदा करना
To whom payable Sachiv 76, IEA
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent 10/1/22
20G 065021

भारतीय डाक
India Post

RI661711535IN IVR:82736617111
RL INDORE TAKSHASHILA S.O <452001>
Counter No:1,10/01/2022,14:33
To:SACHIVE RAJYA SUCHNA AYOG,.
PIN:462027, Arera Hills S.O
From:ABHISHEIKH JOSHI,.
Wt:20gms
Amt:20.00(Cash)FS:5.00
(Track on www.indiapost.gov.in)

अधपन्ना COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे अदा करना
To whom payable सचिव 76, IEA, राज्य सू. आ.
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent 10/1/22
20G 065022

ABHISHEK JOSHI
ACTIVE VOLUNTEER OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, RTI ACTIVIST

Infront of new tehsile office Jhansi road karera district shivpuri madhyapradeh, 473660
9893559297
abhishekjoshi12345@gmail.com

S.No- Legal Notice/SIC/BPL/22. **DATE : 18 JANUARY 2022**

Legal Notice through e-mail/registerd post

बनाम

श्री राजेश कुमार ओगरे,(IAS) मौजूदा सचिव कार्यालय राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन 35 ब अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश email : ussicbho@mp.gov.in

महोदय,

मैं यह विधिक नोटिस आपको निम्नलिखित आधारों पर प्रेषित करता हूं।

1. यह कि मैंने आप जनाब के कार्यालय को एक आवेदन तारीखी 10/01/2022 को तहत धारा - 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 जरिए रजिस्टर्ड डाक RI661711535IN प्रेषित किया था।

2. यह कि उक्त आवेदन के साथ आंशिक शुल्क रुपए 40 का भुगतान जरिए पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 20G 065021 एवम 20G 065022 से आवेदन के साथ संलग्न कर किया गया था जो कि आपको संज्ञान में हैं।

3. यह कि अतरिक्त शुल्क के भुगतान हेतु मैंने तत्पर होना करार किया था।

4. यह कि उक्त आवेदन के आप जनाब को मिलने के बाद मैंने काफी इंतजार किया किंतु आप जनाब के द्वारा आज तक कोई प्रतिउत्तर नही मिला है।

5. यह कि आप जनाब उक्त तमाम तथ्यों के बाबत बखूबी जानकारी होने के बाबजूद, एक लोक सेवक होने के नाते विधि के पालन हेतु बाध्य होकर भी कोई जवाब और वांछित दस्तावेजात की नकल आज दिनांक तक मुझे उपलब्ध नहीं करवाई है जो कि आपके द्वारा सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है।

6. यह कि आप जनाब को उक्त आवेदन के साथ संलग्न शुल्क का भुगतान करने के उपरांत भी आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना अपने आप में विधि विरुद्ध है और उक्त प्रकार आप जनाब के और मेरे मध्य कानून सेवा प्रदाता एवम उपभोक्ता के संबंध कायम हो चुके है और उक्त मानिंद आप जनाब के द्वारा आंशिक शुल्क का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत भी माकूल सेवा नही देने से आपकी सेवा में कमी सावित होती है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मेरे संरक्षित विधिक अधिकारों का हनन है जिसके लिए आपके विरुद्ध

विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

अतः यह विधिक नोटिस प्रेषित कर आपसे उपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 3 योम में आप :

A. इस नोटिस का बिंदुबार मेरे WhatsApp संपर्क सूत्र संख्या 9893559297 अथवा email पते पर प्रेषित करे और ज़बाब के साथ ही
B. मेरे मूल आवेदन में वांछत दस्तावेजात मुझे अविलंब एवम नि:शुल्क जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करे
C. साथ ही आप जनाब के कारण उक्त प्रकार की विधि की अवहेलना एवम सेवा में कमी के चलते मुझे हुए अतिरिक्त श्रम एवम धन की हानि एवम मानसिक संताप पेटे रुपए 20000/- अक्षरे बीस हजार रुपए अदा करे।

आपके द्वारा इस बाबत कोई जवाब या दस्तावेजात प्रेषित नही किए जाने की स्थिति मे आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार मानते हुए आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय मे विधिक कार्यवाहियां संस्थित की जावेगी जिसके तमाम हर्जे खर्चे एवम एवम अन्य नतीजों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Note :
1. Keep this notice safe, the same shall be asked to you produce at the time required.
2. Respond pointwise.
3. A copy of this Notice is kept in my office for further action.
4. There is no correction without my initials.
5. This Notice bears digitally scanned signature the same effective as done in ink.

(signature)